

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 मई 2026 — वैशाख 24, शक 1948

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 मई 2026

अधिसूचना

GENCOR/3582/2026-WCD.— बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (2007 का सं. 6) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक को संबंधित परिक्षेत्र हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, जिनके भीतर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 8th May 2026

NOTIFICATION

F. No. GENCOR/3582/2026-WCD.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007), the State Government hereby appoints the Revenue Inspector/Revenue Sub Inspector/ Assi.Revenue Inspector under the Urban Administration Department as the "Child Marriage Prohibition Officer" for the respective area, within which the Child Marriage Prohibition Officer shall exercise the powers and perform the duties conferred upon him by this Act

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.

473